

विज्ञप्ति क्रमांक : 285

दिनांक : 26.11.2025

इंदौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 103 में शैक्षणिक (स्कूल) उपयोग के 03 भूखण्डों को सामान्य श्रेणी अनुसार लीज/पट्टे पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ई-टेंडर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रथम वर्ष हेतु लीजरेंट प्र.व.मी.	आगामी वर्ष हेतु लीजरेंट प्र.व.मी.	न्यूनतम दर (प्रति व.मी.)	अर्नेस्ट मनी रु.
1	2025_DTCP_449503_1	शैक्षणिक (स्कूल)	1126.69	38.00	22.00	21100.00	23,77,316 / -
2	2025_DTCP_449506_1	शैक्षणिक (स्कूल)	5597.94			21100.00	1,18,11,653 / -
3	2025_DTCP_449514_1	शैक्षणिक (स्कूल)	4045.33			21100.00	85,35,646 / -



ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	01-12-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत की अंतिम दिनांक एवं समय	22-12-2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	24-12-2025	12:30 hrs Onwards
4	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	30-12-2025	12:30 hrs

नोट :-

- ☐ निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन कय की जा सकती है। ई-टेंडर हेल्प डेस्क का टोल फ्री नंबर 01204001002 है।
- ☐ निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन स्वयं के क्रेडिट कार्ड/ डेबिटकार्ड / नेट बैंकिंग / आरटीजीएस के माध्यम से कर सकेगा।
- ☐ निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगी। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- ☐ निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ☐ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ☐ प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- ☐ लोकेशन हेतु QR Code स्कैन करें।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।